अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए

वकुलाय उप०। अप्रार्थी नं. 2 की ओर से श्री हंसराज गुर्जर एड० ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं. 5 की तामील सम्यक रूप से हो चुकी है बावजूद तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी नं. 5 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। वास्ते जवाब पत्रावली दिनांक 10/11/22 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

10/11/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 14/11/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)

14/11/2022

पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उभय पक्ष उप०। वकील अप्रार्थीगण ने आपत्ति फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 16.05.2022 पेश की गयी। नकल वकील प्रार्थी को दिलायी गयी। वकुलाय उभय पक्ष की सहमति से बहस आपत्ति प्रार्थना पत्र व मूल प्रार्थना पत्र पर सुनी गयी। बहस बगौर समाहत की गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय आपत्ति प्रार्थना पत्र / मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 18.11.2022 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

अदालत..मुकाम
....बनाम..
किस्म मुकदमा..मु. नं. ....सन्

तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

18/11/22 ~~पत्रावली आज वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील उभय पक्ष~~ उपस्थित। अप्रार्थी 1, 5 ता 9 के विरुद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है। अप्रार्थी सं03 की ओर से सीमाज्ञान रिपोर्ट पर आपत्ति पेश की गयी है। पत्रावली में इस आपत्ति प्रार्थना पत्र व मूल प्रार्थना पत्र पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। वकील अप्रार्थी ने बहस में आपत्ति प्राथना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान कर कथन किया कि पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवायी जावे तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति नही है। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड राजस्व ग्राम कोटड़ा पटवार हल्का कोटड़ा स्थित खसरा नंबर 479 रकबा 1.30 हेक्टे0 प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसका बाद सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी कराने के प्रार्थीया को विधिक अधिकार है। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना तथा प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है।

(हस्ताक्षर)
([illegible])

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आपत्ति प्रार्थना पत्र अप्रार्थी 03 खारिज किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम कोटड़ा पटवार हल्का कोटड़ा स्थित खसरा नंबर 479 रकबा 1.30 हेक्टे0 की प्रार्थीया, व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 16.05.2022 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा

Scanned with OKEN Scanner

बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Scanned with OKEN Scanner